न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
111/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	27.09.19	26.11.2019

उनवान सरकार बनाम किशोरीलाल पुत्र चैतनदास निवासी सिंघाना जिला झुन्झुनूं(राज0)

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बुहाना की ओर से तहसीलदार बुहाना को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि स्टेट हाइवे 13 स्थान सिंघाना में स्टेट हाइवे 13 व एन0एच 11 मार्ग पर सा0नि0वि0 की सीमा मे अतिक्रमण किशोरीलाल पुत्र चैतनदास निवासी सिंघाना ने 5–10 मी0 की दूरी पर ठैले लगाकर (स्थाई रूप से) अतिक्रमण कर रखा है सहायक अभियन्ता ने भी यह अभिकथन किया है कि इन सभी ठैलों वालों का मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने को कहने के बाद भी आज दिनाक तक अतिक्रमण नही हटाया गया है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

तहसीलदार बुहाना द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/1272 दिनांक 20.08.2019 को मुल प्रकरण नायब तहसीलदार सिंघाना को अतिकमीके विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु भिजवाया गया।

प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अतिकमी किशोरीलाल पुत्र चैतनदास निवासी सिंघाना को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली पर उपलब्ध रिर्पोट सहायक अभियन्ता सा0नि0 वि0 बुहाना तथा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत विवादित अतिक्रमण की भूमि पर प्रभावहीन व सारहीन साबित होते है। अतः यह न्यायालय अतिकमी किशोरीलाल पुत्र चैतनदास निवासी सिंघाना ने एन. एच. 11 एंव सिंघाना सर्किल पर 5–10 मी0 की दूरी पर (स्थाई रूप से) ठेले का अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिए जाते है।

सहायक अभियन्ता सा0नि.वि0 बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर रहे।

उप तहसीलदार सिंघाना

Scanned with CamScanner